NOTIFICATION

No.7311 /F-3-30/2015/XIII : Whereas, the State Government is of the opinion that it would be in the public interest to encourage captive power users to draw electricity from Distribution Companies in the State.

2. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, repeals notification No. F1-01-2012-XIII, dated 14th February, 2013:

Provided that Industries getting benefit of exemption from payment of electricity duty under the repealed notification No. F 1-01-2012-XIII, dated 14th February, 2013 and the earlier repealed notification No. F 4328-XIII-2006 dated 12th July, 2006 shall continue to get such exemption till the completion of period specified in column (3) of the schedule of the said notifications:

Provided further that, the industries which continue to get benefit of exemption under the above said repealed notifications shall also be exempted from payment of electricity duty on increased monthly purchase of electricity from State Distribution Companies as compared to the units bought in the same month of the financial year 2016-2017:

Provided also that the above exemption from payment of electricity duty on purchase of electricity from distribution company shall be available to the industries till completion of the period specified in column (3) of the schedule of the said repealed notifications and shall be limited to the difference between the units generated by the captive power plant at its 85 percent normative capacity and units bought by the industry from distribution company in the same month of the financial year 2016-17.

3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक 7311 /एफ–3–30/2015/तेरह : यतः, राज्य सरकार की राय है कि यह लोकहित में होगा कि कैप्टिव पॉवर उपयोगकर्ताओं को राज्य में वितरण कंपनियों से विद्युत लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

2/ अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्र. 17 सन् 2012) की धारा 5 की उप–धारा (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ 1–01–2012–तेरह, दिनांक 14 फरवरी, 2013 को निरसित करती है :

परन्तु यह कि उद्योग जिनको निरसित अधिसूचना क्रमांक एफ 1–01–2012–तेरह दिनांक 14 फरवरी, 2013 एवं पूर्व में निरसित अधिसूचना क्रमांक एफ 4328–तेरह–2006 दिनांक 12 जुलाई, 2006 के अंतर्गत विद्युत शुल्क के संदाय से छूट का लाभ प्राप्त हो रहा है, उक्त अधिसूचनाओं की अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्ण होने तक ऐसी छूट प्राप्त करना जारी रहेगा;

परन्तु यह और कि उद्योग उक्त निरसित अधिसूचनाओं के अंतर्गत छूट का लाभ जारी रहने के साथ ही राज्य की वितरण कंपनियों से क्रय विद्युत पर वित्तीय वर्ष 2016–17 के उसी माह में क्रय की गई इकाई की तुलना में मासिक वृद्धि पर भी विद्युत शुल्क के संदाय से छूट होगी :

परन्तु यह भी कि वितरण कंपनी से विद्युत के क्रय पर विद्युत शुल्क के संदाय से उपरोक्त छूट उक्त निरसित अधिसूचनाओं की अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्ण होने तक उद्योगों के लिए उपलब्ध रहेगी तथा यह छूट कैप्टिव विद्युत संयंत्र द्वारा 85 प्रतिशत मानक क्षमता पर उत्पादित इकाईयों एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 के उसी माह में वितरण कंपनी से उद्योग द्वारा क्रय की गई इकाईयों के अंतर तक सीमित होगी।

3/ यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।